



है तथा ग्राम पौख पटवार हल्का पौख की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 2042, 4043, 2049 मे आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 2051, 2052, 2050, 2049, 2045, 2048, 2044 में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त फर्द मौका के सलंगन नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले डी० एल० सी० दर की दुगनी राशि को तहसीलदार उदयपुरवाटी के पास जमा करवाए एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी०एल०सी० दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है, को नियमानुसार भुगतान करे तथा उक्त 4 मीटर चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त फर्द मौका निरिक्षण मय नजरी नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी।

  
(राम सिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी,  
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।  
  
(राम सिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

